अध्याय 5

अवैध अधिग्रहण या विरोध के परिवाद

धारा 20. परिवाद करने की शक्ति - कोई व्यक्ति, जिसके पशु इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहित किये हैं, ऐसे अभिग्रहीत किये जाने पर, इस अधिनियम के उल्लंघन के विरूद्ध किए जाने की तारीख से, 10 दिन के भीतर किसी समय जिला दण्डाधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश के बिना ग्रहण और विचारण करने के लिए प्राधिकृत किसी मजिस्ट्रेट को परिवाद कर सकेगा।

धारा 21. परिवाद पर प्रक्रिया - परिवाद स्वतः परिवादी द्वारा या परिस्थितियों से वैयक्तिक रूप से परिचित किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा। यह लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि वह मौखिक हो तो उसका सार मजिस्ट्रेट द्वारा लिख लिया जायेगा।

यदि परिवादी या उसके अभिकर्ता के परीक्षण पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि परिवाद सुआधारित है तो वह उस व्यक्ति को समन करेगा जिसके खिलाफ परिवाद किया गया हो और मामले की जांच करेगा।

धारा 22. अवैध अभिग्रहण या निरोध के लिये प्रतिकर - यदि अभिग्रहण या निरोध, अवैध न्याय निर्णीत किया जाये, तो मजिस्ट्रेट अभिग्रहण या निरोध से हुई हानि के लिये एक सौ रूपये से अनधिक राशि का युक्तियुक्त प्रतिकार परिवादी को दिलावेगा तथा यदि पशुओं का निर्मोचन परिवादी न कराया है तो पशुओं का निर्मोचन उपाप्त करने में परिवादी द्वारा संदत्त सब जुर्माने या उपगत व्ययों सहित राशि उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जावेगा जिसने पशुओं को निरुद्ध कराया।

यदि पशुओं का निर्माचन (R) नहीं किया गया है तो मजिस्ट्रेट ऐसा प्रतिकर दिलाने के अतिरिक्त उनके निर्मोचन का आदेश देगा और आदेश करेगा कि इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय सब जुर्माने और व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जायेंगे जिसने अभिग्रहण किया या पशुओं को निरुद्ध किया।

धारा 22-अ. अमानती रकम की वापसी तथा जप्ती का निरस्तीकरण - पशुओं का पकड़ा जाना अवैध प्रमाणित हो जावे तो ऐसे पकड़े पशु के संबंध में जमा अमानती रकम वापस की जावेगी यथा ऐसे पशु की अमानती राशि की जप्ती को निरस्त किया जावेगा।

धारा 23. प्रतिकार की वसूली - धारा 22 में वर्णित प्रतिकर, जुर्माने और व्यय, ऐसे वसूल किया जा सकेंगे यथा मानों वे मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने हों।